संख्या-238/2016/1834/22-2-2016-17(168)/2015

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 27 मार्च, 2017**

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महेश मेहन्तो उर्फ महतो पुत्र श्री अंगनू महतो, निवासी जनपद-हजारीबाग(झारखण्ड) हाल पते की जनपद-गाजियाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3 (एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26-09-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी महेश मेहन्तो उर्फ महतो पुत्र श्री अंगनू महतो, निवासी ग्राम चपरी, थाना-बडका, जनपद-हजारीबाग(झारखण्ड) वर्तमान पता- म०नं०-91 राजेन्द्र नगर थाना-साहिबाबाद जनपद-गाजियाबाद का निवासी है। बन्दी श्री रवी अब्राहम के घर नौकर था। श्री अब्राहम की पत्नी द्वारा उसे नौकरी से निकालने को कहे जाने से नाराज होकर बन्दी ने दिनांक 21-01-1997 को दोपहर में किसी समय गला दबाकर श्रीमती पोदिम्मा की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-317/1997 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 में मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 22-03-1999 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सत्र न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.09.2016 तक 19 वर्ष 01 माह 14 दिन की अपरिहार तथा 24 वर्ष 06 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है, किन्तु प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद की आख्यानुसार, बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है। बन्दी ने नौकरी से निकालने को कहे जाने से नाराज होकर दिनांक 21-01-1997 को गला दबाकर श्रीमती पोदिम्मा की हत्या करने का अपराध कारित किया है । अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी महेश मेहन्तो उर्फ मेहतो पुत्र श्री अंगनू महतो निवासी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जनपद-हजारीबाग(झारखण्ड) हाल पते का जनपद-गाजियाबाद को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित स्पेशल लीव पिटीशन (क्रिमिनल) सं0-1197/2017 महेश मेहन्तो उर्फ महतो बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-01-2017 के अनुपालन तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी महेश मेहन्तो उर्फ महतो (बन्दी संख्या-14551) पुत्र श्री अंगनू महतो जनपद-हजारीबाग(झारखण्ड) हालपते का जनपद-गाजियाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-238/2016/1834(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-गाजियाबाद।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-238/2016/1834@22-2-2016-17(168)/2015

दिनांक 27 मार्च, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध बन्दी महेश मेहन्तों उर्फ महतो (बन्दी संख्या-14551) पुत्र श्री अंगनू महतो, निवासी ग्राम चपरी, थाना-बडका, जनपद-हजारीबाग(झारखण्ड) वर्तमान पता- म०नं०-91 राजेन्द्र नगर थाना-साहिबाबाद जनपद-गाजियाबाद का निवासी है। बन्दी श्री रवी अब्राहम के घर नौकर था। श्री अब्राहम की पत्नी द्वारा उसे नौकरी से निकालने को कहे जाने से नाराज होकर बन्दी ने दिनांक 21-01-1997 को दोपहर में किसी समय गला दबाकर श्रीमती पोदिम्मा की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-317/1997 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 में मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 22-03-1999 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सत्र न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.09.2016 तक 19 वर्ष 01 माह 14 दिन की अपरिहार तथा 24 वर्ष 06 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है, किन्तु प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद की आख्यानुसार बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है। बन्दी ने नौकरी से निकालने को कहे जाने से नाराज होकर दिनांक 21-01-1997 को गला दबाकर श्रीमती पोदिम्मा की हत्या करने का अपराध कारित किया है । अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी महेश मेहन्तो उर्फ मेहतो पुत्र श्री अंगनू महतो निवासी जनपद-हजारीबाग(झारखण्ड) हाल पते का जनपद-गाजियाबाद को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।